(162)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (लिंक कोर्ट रीवा) ((म0प्र0))

230
29.6.15

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs 20/-

निगरानी 2523-II-15

श्री आशुतोष मिश्रा एड. के द्वारा आज 29.6.15 प्रस्तुत किया गया

रीडर
लिंक कोर्ट रीवा

1. भीषम नाई तनय स्व0 रामदास नाई उम्र 60 साल
2. मुन्नी पुत्री स्व0 रामदास उम्र 57 साल
3. शिवलाल तनय स्व0 पण्डा नाई उम्र 82 साल

तीनों निवासी ग्राम पतुलखी तहसील एवं थाना बहरी जिला सीधी (म0प्र0)

4. शिवदास तनय स्व0 पण्डा नाई उम्र 87 साल
5. अर्जुन नाई तनय स्व0 पण्डा नाई उम्र 89 साल
6. भीमसेन नाई तनय स्व0 पण्डा नाई उम्र 80 साल

तीनों निवासी ग्राम खुरमुचा तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0)

7. रामनिहोर तनय बैकुण्ठ नाई उम्र 47 साल
8. गीता नाई पुत्री बैकुण्ठ नाई उम्र 42 साल
9. छोटी नाई पुत्री बैकुण्ठ नाई उम्र 37 साल

सभी पेशा खेती निवासी ग्राम भाठी तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

———————— पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम्

1. गिरीश तिवारी तनय स्व0 अम्बुज प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पतुलखी तहसील व थाना बहरी जिला सीधी (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन

———————— उत्तरवादीगण

क्रमांक..................
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
.... को प्राप्त

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील बहरी जिला सीधी के प्रकरण क्र0 50/अ–74/2012–13

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

निम्नांकित पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया तथ्यों एवं सहज न्याय सिद्धान्तों की मनसा के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तगी है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस प्रकरण क्र0 2/अ-5/84-85 आदेश दिनांक 21.07.1986 का हवाला दिया गया है उक्त प्रकरण व कार्यवाही में पुनरीक्षणकर्त्ता व उनके पूर्वज न तो पक्षकार थे न उन्हे ऐसे किसी प्रकरण में कभी सुनवाई का अवसर दिया गया है साथ ही ऐसा कोई प्रकरण अपीलार्थीगण के भूमिस्वामित्व व कब्जे की आबादी भूमि क्र0 414 के संबंध में पुनरीक्षणकर्तागण की जानकारी में विचारित भी नही हुआ है। तथाकथित प्रकरण क्र0 2/अ-5/84-85 आदेश दिनांक 21.07.1986 के नकल हेतु अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभी तक तलाश करनें पर जिला अभिलेखागार सीधी में उक्त प्रकरण संस्थित होना नही पाया गया साथ ही तथाकथित प्रकरण संबंधित तहसील सिहावल से जिला अभिलेखागार सीधी में दाखिल होने का भी उल्लेख नही है जिससे यह स्पष्ट है कि तथाकथित प्रकरण फर्जी व कूटरचित है व उससे संबंधित कथित प्रतिलिपि कूटरचित तैयार की जाना संभावित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण को न तो पक्षकार के रुप में संयोजित कराया गया न उन्हे सुना गया इस कारण पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नही है।

3- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणाधीन कार्यवाही में कथित प्रकरण क्र0 2/अ-5/84-85 को पटवारी हल्का पतुलखी बनाम कैलाश पति तिवारी के नाम से लेख है उक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण अथवा उनके पिता व चाचा पक्षकार ही नही है ऐसी स्थित में उक्त आदेश के आधार पर आवेदकगण के स्वामित्व की पुराना भूमि क्र0 1045 जिसका नया खसरा क्र0 414 तैयार किया गया है जिस भाग पर रास्ता दर्ज करानें का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2523–दो/15 जिला–सीधी

थाना दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 पाण्डे द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 50/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13.6.13 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 2 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	